विविध बैंक प्रकरण संख्या 147/2022(GCMS : 2022/217) पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री बनवारी लाल कुक्कड़, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. मैसर्स गणपति आर्टस जरिये प्रोपराईटर श्री संदीप कामरा पुत्र श्री राजपाल कामरा C/o 2–जीडी–ए, बीकानेर रोड, नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं निवासी वार्ड नं. 3, 3–एसटीआर, अमर कॉलोनी, नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर 2. राजपाल कामरा पुत्र मोहरी लाल कामरा निवासी वार्ड नं. 3, 24 एएस'सी'', नई मंडी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए और प्रार्थी बैंक की ओर से नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण **मैसर्स गणपति आर्ट्स–प्रो. संदीप कामरा एवं राजपाल कामरा** द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी राजपाल कामरा की इंडस्ट्रियल संपति प्लॉट स्थित मुरब्बा नं. 65/30, किल्ला नं. 04 (डीड के अनुसार 2027 वर्गमीटर) (क्षेत्रफल 21780 वर्गफुट) चक 2–जीडी''ए'', ग्राम पंचायत 2 जीडी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं इंडस्ट्रियल व व्यावसायिक संपति प्लॉट स्थित मुरब्बा नं. 65/30 किल्ला नं. 04(0.023 है.) (व्यावसायिक भाग 2508 वर्गफुट (33'गुणा76')) व किल्ला नं. 5(0.253 है.) (इंडस्ट्रियल भाग 27225 वर्गफुट (165' गुणा 165')) चक 2 जीडी–ए, ग्राम पंचायत 2 जीडी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार किल्ला नं. 4 का क्षेत्रफल (2508 वर्गफुट) व किल्ला नं. 5 का क्षेत्रफल (27225 वर्गफुट) का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक [illegible] विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाही [illegible] नॉट प्रैस **करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही [illegible] कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 01.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण **मैसर्स गणपति आर्ट्स–प्रो. संदीप कामरा एवं राजपाल कामरा** के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी राजपाल कामरा की इंडस्ट्रियल संपति प्लॉट स्थित मुरब्बा नं. 65/30, किल्ला नं. 04 (डीड के अनुसार 2027 वर्गमीटर) (क्षेत्रफल 21780 वर्गफुट) चक 2–जीडी''ए'', ग्राम पंचायत 2 जीडी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं इंडस्ट्रियल व व्यावसायिक संपति प्लॉट स्थित मुरब्बा नं. 65/30 किल्ला नं. 04(0.023 है.) (व्यावसायिक भाग 2508 वर्गफुट (33'गुणा76')) व किल्ला नं. 5(0.253 है.) (इंडस्ट्रियल भाग 27225 वर्गफुट (165' गुणा 165')) चक 2 जीडी–ए, ग्राम पंचायत 2 जीडी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार किल्ला नं. 4 का क्षेत्रफल (2508 वर्गफुट) व किल्ला नं. 5 का क्षेत्रफल (27225 वर्गफुट)** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.21 17:26:09 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर